हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
04/12/25	आज यह पत्रावली वास्ते आदेश हेतु पेश हुयी। वकील प्रार्थी उप०। वकील की बहस पर मनन किया गया। वादी का वाद पत्र डिक्री किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नियमानुसार [illegible] से हम हो। बाद [illegible] दाखिल दफ्तर निर्णय प्रकट के लिये जाम शास्त्र किया गया। **उपखण्ड अधिकारी** बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बहरोड (कोटपूतली–बहरोड़)

पीठासीन अधिकारी :– रामकिशोर मीना ॥
(R.A.S.)

राजस्व प्रार्थना नं॰ :– 12/2025
दायर दिनांक :– 09.01.2025
निर्णय दिनांक :– 04/12/2025

उनवान

1. श्यामलाल पुत्र श्री ग्यारसाराम जाति खटीक निवासी बहरोड़ तह0 बहरोड़ जिला कोटपूतली–बहरोड़ (राज0)। ..... वादीगण

बनाम

1. दलीप कुमार पुत्र श्री भगवान सहाय जाति खटीक निवासी कबाड़ी वाली गली, यादव धर्मशाला के पास बहरोड़ तह0 बरहोड़ जिला कोटपूतली–बहरोड़
2. लैण्ड होल्डर तहसीलदार बहरोड़। ..... प्रतिवादीगण

दावा–दस्तकरारहक व हुक्म इम्तनाई दवामी

उपस्थित :–

1. श्री दिनेश शर्मा अधिवक्ता वादीगण।

–: निर्णय :–

आज यह पत्रावली वास्ते आदेश हमारे समक्ष पेश हुई। फरीकेन के वकुलाय उपस्थित है। हमने पत्रावली का अध्ययन किया गया। पत्रावली के सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर हाल 661 रकबा 51 ऐयर वाके ग्राम बहरोड़ तरफ डूंगरसी तह0 बहरोउ जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान में स्थित है। जिसमें प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज 1/4 भाग को वाद पत्र के आगामी सभी पदों में विवादित आराजी से सम्बोधित किया जा रहा है। शेष हक व हिस्से के विरूद्ध कोई रिलिफ नही चाही है। यह है कि विवादित आराजी पर सम्वत 2012 के मन वादी को बुजुर्ग 1/4 भाग पर काबिज रहकर काश्त करता आ रहा तथा उक्त 1/4 भाग से प्रतिवादी सं0 1 को लैस मात्र भी वास्ता नही है जो प्रतिवादी सं0 1 द्वारा सम्वत 2012 मे गांव में पंचायत के समक्ष मीटिंग कर वादी के बुजुर्ग को मीटिंग के समक्ष जमीन पर कब्जा देकर 1/4 भाग को बेचान कर दिया था जिससे उसी समय से मन वादी का बुजुर्ग काबिज रहकर काश्त करता आ रहा तथा बुजुर्ग के फौत होने के पश्चात 1/4 भाग पर मन वादी निर्विवाद रूप से काबिज चला आ रहा जिससे प्रतिवादी सं0 1 का कोई लेना देना नही है। जो 1/4 भाग पर अर्सा दराज से कब्जा चला आ रहा है। वादी का बुजुर्ग सम्वत 2012 से काबिज रहकर लगभग 1/4 भाग पर आजीवन काबिज चला आ रहा तथा वादी के बुजुर्ग के फौत होने के पश्चात वादी अपने बुजुर्ग के फुट स्टेप पर 1/4 भाग पर काबिज चला आ रहा है तथा मौके पर वादी काबिज है जो वादी का कब्जा काश्त है। तथा वादी निर्विवाद

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)

रूप से काबिज चला आ रहा है। जिससे वादी को राजस्व रिकार्ड को देखने व नकले आदि लेने की कोई आवश्यकता नही हुयी जिससे वादी को इस गलत इन्द्राज व पुर्ववत रिकार्ड के रहने की जानकारी नही हो सकी। विवादित आराजी पर वादी का बुजुर्ग सम्वत 2012 से 1/4 भाग पर काबिज रहकर काश्त करता आ रहा है तथा बुजुर्ग के फौत होने के पश्चात वादी बुजुर्ग के फुट स्टेप पर काबिज रहकर काश्त करता आ रहा तथा मौके पर काबिज है। तथा अब वादी ने विवादित आराजी पर किसान केडिट कार्ड के तहत फाईल बनवानी चाही तो दिनांक 20/12/2024 को पटवारी हल्का ने राजस्व रिकार्ड को देखकर बताया की जमीन में वादी का नाम दर्ज नही है। जिस पर मन वादी ने राजस्व रिकार्ड को देखने पर मन वादी को रिकार्ड पुर्ववत रहने की जानकारी हुयी जिस पर मन वादी ने प्रतिवादी सं0 1 को प्रतिवादी सं0 1 द्वारा सम्वत 2012 में वादी के बुजुर्ग को मौके पर कब्जा देकर पंचायत एवं मीटिंग के समक्ष बेचान की गयी थी जिस पर वादी का बुजुर्ग सम्वत 2012 से आजीवन काबिज रहा तथा वादी के बुजुर्ग के फौत होने के पश्चात वादी काबिज रहकर काश्त करता आ रहा है तथा कब्जा के संबध में प्रतिवादी द्वारा दिनांक 21.10.2013 को लिखित समझोता कर वादी का कब्जा करना स्वीकार किया है। लेकिन प्रतिवादी को रिकार्ड को दुरूस्त करवाने के लिए कहां तो प्रतिवादी सं0 1 ने हॉ कर ली और आज–कल , आज–कल करके टाल बाल करता रहा और कहां की उसके द्वारा जमीन अर्सा दराज पुर्व बेचान की जा चुकी है। जो स्वयं सक्षम न्यायालय में कार्यवाही पर जमीन को अपने नाम करवाये जिससे दावा जानकारी होने के बिना किसी देरी के पेश है। यह है कि कस्बा बहरोड़ में जमीन जायदाद की कीमतों मे काफी बढोतरी हो गयी है। जो प्रतिवादी सं0 1 के मन में कभी भी बेईमानी आ सकती है। जो इस गलत इन्द्राज की आड मं कभी भी जमीन को दिगर लोगो को बेचान कर दे इसलिए दावा हुक्म इम्तनाई दवामी किया जाना लाजिम आया है। जो प्रतिवादीगण को हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द किया जावे की प्रतिवादी सं0 1 विवादित आराजी को प्रतिवादी सं0 1 के नाम रिकार्ड दर्ज होने की सुरत में बेचान नही करे ना ही दिगर लोगो को जबरन कब्जा करवाये ना ही जबरन कब्जा करे ना ही वादी के कब्जा में बाधा कारित करे। ना ही करवायें। विवादित आराजी प्रतिवादी सं0 1 ने वादी के बुजुर्ग को मौजिजा व्यक्तियों को मौजूदगी में मौके पर कब्जा देकर सम्वत 2012 में वादी के बुजुर्ग को गांव में पंचायत पर मीटिंग में बेचान कर दी जिस पर वादी का बजुर्ग 1/4 भाग पर सम्वत 2012 से आजीवन काबिज चला आ रहा तथा वादी के बुजुर्ग के फौत होने के पश्चात वादी अपने बुजुर्ग के फुट स्टेप पर काबिज चला आ रहा है। तथा कब्जा के संबध में प्रतिवादी द्वारा दिनांक 21.10.2013 को लिखित समझोता कर वादी का कब्जा करना स्वीकार किया है। जिस सुरत में दावा इस्तकरारहक किया जाना लाजिम आया है। जो प्रतिवादी सं0 1 का नाम 1/4 भाग से कलमजन किया जाकर मुताबिक कब्जा के वादी को 1/4 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा इसी प्रकार से राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)

रिकार्डग मे अमल दरामद किया जावें। अन्य सह खातेदारो के विरूद्ध कोई रिलिफ नही चाही है। इसलिए अन्य सह खातेदारों को समय व धन बरबाद होने से बचाने की सुरत में पक्षकार मुकदमा नही बनाया है। यदि न्यायालय श्रीमान अन्य सह खातेदारों को आवश्यक पक्षकार मुकदमा समझाने की सुरत में वादी पक्षकार मुकदमा बनाने के लिए तैयार है। यह है कि नोटिस जेर दफा–80 जा0 दी0 का श्रीमान तहसीलदार बहरोड़ को दिया जा चुका है। लेकिन वाद पत्र आवश्यक नेचर का होने के कारण नोटिस की अवधी से पूर्व ही सुना जाना आवश्यक है। इसलिए प्रार्थना पत्र जेर दफा–80(2) जा0 दी0 का अलग से पेश किया जा रहा है। बिनाय दावी व बिना यमुख समय दिनांक 20/12/2024 से पैदा होती है। जिससे दावा अन्दर मियाद पेश है। यह हकि विवादित आराजी वाके ग्राम बहरोड़ तरफ डूंगरसी तह0 बहरोड़ मे स्थित है जो न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार में है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि वादी का संशोधित वाद स्वीकार किया जाकर निम्न दादरसी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी सादीर अता फरमायी जाने की कृपा करें एवं डिकी इस्तकरारहक बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस असर की सादीर अता फरमायी जावे की आराजी खसरा नम्बर हाल 661 रकबा 51 ऐयर वाके ग्राम बहरोड़ तरफ डूंगरसी तहसील बहरोड़ में स्थित है। जिसमें 1/4 भाग प्रतिवादी सं0 1 द्वारा वादी के बुजुर्ग को सम्वत 2012 में पंचायत पर मीटिंग के समक्ष बेचान कर दी थी जिस पर सम्वत 2012 से वादी के बुजुर्ग आजीवन काबिज रहकर काश्त करता आ रहा तथा वादी के बुजुर्ग के फौत होने के पश्चात वादी के बुजुर्ग के फुट स्टेप पर काबिज चला आ रहा तथा मौके पर काबिज है। तथा कब्जा के संबध में प्रतिवादी द्वारा दिनांक 21.10.2013 को लिखित समझोता कर वादी का कब्जा करना स्वीकार किया है। लेकिन राजस्व विभाग द्वारा रिकार्ड को पुर्ववत रखा गया जो खिलाफ मौका, खिलाफ कब्जा, खिलाफ कानुन है। जिस सुरत में प्रतिवादी सं0 1 का नाम 1/4 भाग से कलमजन किया जाकर 1/4 भग का वादी को खातेदारी काश्तकार दर्ज किया जावे शेष रिकार्ड यथावत रखा जावें व डिकी हुक्म इम्तनाई दवामी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादीर अता फरमायी जावे की आराजी खसरा नम्बर 661 वाके ग्राम बहरोड़ तरफ डूंगरसी तहसील बहरोड़ में स्थित है। जिसमें 1/4 भाग वादी के बुजुर्ग को सम्वत 2012 में प्रतिवादी सं0 1 द्वारा पंचायत कर मीटिंग के समक्ष मौके पर कब्जा देकर बेचान की गयी जिस पर सम्वत 2012 से लगातार कब्जा चला आ रहा है तथा कब्जा के संबध में प्रतिवादी द्वारा दिनांक 21.10.2013 को लिखित समझोता कर वादी का कब्जा करना स्वीकार किया है। जिस पर प्रतिवादी सं0 1 इस गलत इन्द्राज की आड में जबरन कब्जा नही करे ना ही वादी को बेदखल करें ना ही दिगर लोगो को बेचान करें। मौके एवं रिकार्ड की यथावत स्थिति बनायी रखें।

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे जिससे इनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गई।

वादी द्वारा अपने वा पत्र के समर्थन में नक जमाबनी 2075 प्रदर्श–1, नकल इकरारनामा प्रदर्श–2, नोटिस 80 सी.पी.सी प्रदर्श–3, नोटिस अखबार साया प्रदर्श–4 पेश किये है। एव स्वयं वादी श्यामाल, व प्रवीण कुमार पुत्र धर्मवीर ,जाति अहीर निवासी बहरोड़, महेन्द्र कुमार पुत्र मुन्शीराम जाति महाजन निवासी बहरोड के शपथ पत्र पेश किये है।

1. प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–15 एवं लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 27 के तहत वाद ग्रस्त भूमि की खातेदारी, वादी प्राप्त करने का अधिकारी है। इसलिए वादी का वाद पूर्ण रूप से साबित होने के कारण डिक्री किया जाने की प्रार्थना की गई एवं अपनी मौखिक बहस के समर्थन मे निम्न कानूनी विनिश्चय पेश किये गये :–

(1) *माननीय सुप्रीम न्यायालय उनवान कर्नाटका वक्फ बोर्ड बनाम यूनियन आफॅ इंडिया मे पारित निर्ण दिनांक 16 अप्रेल 2004*
(2) *माननीय सुप्रीम न्यायालय उनवान नीलम गुप्ता बनाम राजेन्द्र व अन्य मे पारित निर्णय 2023*
(3) *माननीय सुप्रीम न्यायालय उनवान बेनीप्रसाद (डी) बनाम दुर्गादेवी मे पारित निर्णय 2023*

2. हमने वकील वादी की बहस पर गहनता से मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं तथ्यो का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली में वादी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–15 एवं धारा–19 के तहत मुतनाजा आराजी पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 के लागू होने के समय से ही बतौर काश्तकार काबिज होने के आधार पर खातेदारी अधिकार निहित होने के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही गई है। प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–15 का अवलोकन किया जाना उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–15 का उद्धरण निम्न प्रकार है:–

15. Khatedar tenants— *(1) Subject to the provisions of section 16 and clause (d) of Sub-section (1) of section 180* ***every person who, at the commencement of this Act, is a tenant of land*** *otherwise than as a subtenant or a tenant of Khudkasht or who is, after the commencement of this Act, admitted as a tenant otherwise than a sub-tenant or tenant of Khudkasht or an allottee of land under, and in accordance with, rules made under section 101 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Rajasthan Act 15 of 1956) or who acquires Khatedari rights in accordance with provisions of this Act or of the Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jagir Act, 1952 (Rajasthan Act VI of 1952) or of any other law for the time being in force shall be a Khatedar tenant and shall, subject to the provision of this Act be entitled to all the rights conferred; and be subject to all the liabilities imposed on Khatedar tenants by this Act:*

3. प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–15 के उक्त प्रकार अवलोकन से ज्ञात होता है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–15 के तहत मुतनाजा आराजी पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 के लागू होने के समय दिनांक 15.10.1955 से ही बतौर काश्तकार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त किये जा सकते है।

उपखण्ड अधिकारी

प्रकरण में अब राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–19 का अवलोकन किया जाना उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–19 का उद्धरण निम्न प्रकार है:–

19. Conferment of rights on certain tenants of Khudkasht and sub tenants— *(1) Every person who, at the commencement of this Act—*

(a) was entered in the annual registers then current as a tenant of Khudkasht or sub-tenant of land other than grove land, or

(b) was not so entered but was a tenant of Khudkasht or sub-tenant of land other than grove land

shall as from the date of commencement of the Rajasthan Tenancy (Amendment) Act, 1959, hereafter in this Chapter referred to as the appointed date, become, subject to the other provisions contained in this Chapter, the Khatedar tenant of such part of the land held by him as does not exceed the minimum area prescribed by the State Government for the purpose of clause (a) of sub-section (1) of section 130 or exceeds the maximum area from which such person is liable to ejectment under clause (d) of the said sub-section of the said section and rights in improvements in that part of the said land shall also accrue to such person:

4. प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–19 के उक्त प्रकार अवलोकन से ज्ञात होता है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–19 के तहत मुतनाजा आराजी पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 के लागू होने के समय दिनांक 15.10.1955 से ही बतौर काश्तकार काबिज होने, चाहे राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो या दर्ज नहीं हो, के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त किये जा सकते है।

5. वादी का प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–19 के तहत मुतनाजा आराजी पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 के लागू होने के समय दिनांक 15.10.1955 से ही बतौर काश्तकार काबिज होने, चाहे राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो या दर्ज नहीं हो, के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने से संबंधित हैं। प्रकरण में यह देखा जाना है कि वादी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 के लागू होने के समय दिनांक 15.10.1955 से ही बतौर काश्तकार काबिज रहा है अथवा नहीं।

6. साथ ही प्रकरण में लिमिटेशन एक्ट की धारा 27 का अवलोकन किया। धारा 27 लिमिटेशन एक्ट के अनुसार " **अगर कोई व्यक्ति किसी प्राईवेट प्रॉपर्टी पर 12 साल तक कब्जा बनाए रखे और उस दौरान असली मालिक ने कोई कानूनी कार्यवाही नही की तो असली मालिक का हक खत्म हो जाता है और कब्जाधारी को मालिकाना अधिकार मिल सकता है**" है। यहां पत्रावली पर ऐसे कोई तथ्य उपलब्ध नही है कि वादग्रस्त संपति के असली मालिको द्वारा कोई कानूनी कार्यवाही की गई हो। इसलिए लिमिटेशन एक्ट की धारा 27 के प्रावधान इस प्रॉपर्टी पर पूर्ण रूप से लागू होता है। इसी प्रकार वादी की ओर से पेश कानूनी विनिश्चय एवं निर्णय का अवलोकन किया गया जो निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 65 के प्रावधानो के मुताबिक पारित किये गये है। जो सभी निर्णय एवं कानून उक्त अनुवानी प्रकरण पर चस्पा पूर्ण रूप से चस्पा होते है।

7. हमारे द्वारा वादी की एक पक्षिय बहस सुनी तथा पत्रावली का अध्ययन किया गया। आराजी खसरा नम्बर 661 रकबा 0.51 है0 प्रतिवादी संख्या 01 का 1/4 हिस्सा मुताबिक जमाबन्दी संवत 2075–2078 दर्ज है। वादी का कथन है कि उसके बुजुर्जग द्वारा विवाति आराजी में प्रतिवी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा संवत

उपखण्ड अधिकारी
(कोटपूतली–बहरोड़)

2012 में खरीद किया था। तभी से वादी के पूर्वज व उनके वाद वाी स्वंय विवादित आराजी में प्रतिवादी संख्या 01 के 1/4 हिस्सा पर काबिज काश्त है। प्रतिवादी संख्या 01 बाद इतला न्यायालय हाजा में उपस्थित नही हुये। प्रतिवादी नम्बर 1 ने उक्त अपना 1/4 हिस्सा दिनांक 31.10.2013 को मुताबिक समझौता दिनांक 21.10.2013 के विवादित आराजी को वादी कि होना स्वीकार किया है। लिखत पेश की है। प्रतिवादी न्यायालय में बाद सूचना उपस्थित नही आये। जिससे प्रतिवादी नम्बर 1 की विवादित आराजी में कोई रूचि नही होना प्रकृट करता है। वादी द्वारा प्रस्तुत गवाहान के शपथ पत्र मात्र से वादी का विवादित आराजी पर संव 2012 से कब्जा/काश्त होना प्रकृट होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कि धारा 14 व 19 के परिपेक्ष्य में उक्त पत्रावली पर उपल्बध दस्तावेजात एवं तथ्यो के पूर्ण अवलोकन से वादी का वाद डिक्री होने योग्य है।

—: आदेश :—

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 661 रकबा 0.51 वाके ग्राम बहरोड़ तरफ डुगंरसी तहसील बहरोड़ में प्रतिवादी संख्या 01 का नाम 1/4 भाग से कलमजन कर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष यथावत रहेगा। इसी कदर हाल भू—अभिलेख को संशोधन किये जाने आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री जारी हो।

आज दिनांक 04/12/25 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय शुनाया गया।

(रामकिशोर मीना II)
(R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली—बहरोड़)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बहरोड(कोटपूतली–बहरोड़)

पीठासीन अधिकारी :– रामकिशोर मीना ॥
(R.A.S.)

राजस्व प्रार्थना नं॰ :– 12/2025
दायर दिनांक :– 09.01.2025
निर्णय दिनांक :– 04.12.2025

उनवान

1. श्यामलाल पुत्र श्री ग्यारसाराम जाति खटीक निवासी बहरोड़ तह0 बहरोड़ जिला कोटपूतली–बहरोड़ (राज0)। ..... वादीगण

बनाम

1. दलीप कुमार पुत्र श्री भगवान सहाय जाति खटीक निवासी कबाड़ी वाली गली, यादव धर्मशाला के पास बहरोड़ तह0 बरहोड़ जिला कोटपूतली–बहरोड़
2. लैण्ड होल्डर तहसीलदार बहरोड़। ..... प्रतिवादीगण

दावा–दस्तकरारहक व हुक्म इम्तनाई दवामी

उपस्थित :–

1. श्री दिनेश शर्मा अधिवक्ता वादीगण।

–: पर्चा डिक्री :–

आज यह पत्रावली वास्ते आदेश हमारे समक्ष पेश हुई। फरीकेन के वकुलाय उपस्थित है। हमने पत्रावली का अध्ययन किया गया वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 661 रकबा 0.51 वाके ग्राम बहरोड़ तरफ डुगंरसी तहसील बहरोड़ में प्रतिवादी संख्या 01 का नाम 1/4 भाग से कलमजन कर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष यथावत रहेगा। इसी कदर हाल भू–अभिलेख को संशोधन किये जाने आदेश दिये जाते है।

आज दिनांक 04.12.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा द्वारा जारी की गइ।

(रामकिशोर मीना)
उपखण्ड अधिकारी
बहरोड (कोटपूतली–बहरोड़)

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)